न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

ब इजलास इन्द्राजसिंह R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या 62/2019

निर्णय दिनांक - 26.12.19

महेन्द्रकुमार पुत्र मालाराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी वार्ड सं. 24 इन्द्रा कोलोनी कस्बा राजगढ़ जिला चूरू

-प्रार्थी

बनाम

1. गुलाब पुत्र मालाराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी कस्बा राजगढ़ जिला चूरू
2. नन्द किशोर } पुत्रगण मालाराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी कस्बा राजगढ़ जिला चूरू
3. बलवान }
4. श्रीमान तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला चूरू

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा० भू राजस्व अधिनियम

-

उपस्थित :- 1. श्री चन्द्रभान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी
2. " मनोज कुमार सोगवा अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी सं.
3. एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी सं. 3
4. पैरोकार राजवास्ते अप्रार्थी सं. 4

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण पैमाईश व पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस न्यायालय मे दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि ख० न० 419/231 तादादी 1.8558 है० रोही न्यायालय तहसील राजगढ़ मे स्थित है यही विवादित कृषि भूमि है। वास्ते मुलाहिजा जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थनापत्र के विवादित कृषि भूमि का प्रार्थी अकेला खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी सं. 1 से 3 की खातेदारी की कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी की विवादित कृषि भूमि के पूर्वी दक्षिणी तरफ चिपती स्थित है। विवादित कृषि भूमि व अप्रार्थी सं. 1 से 3 की खातेदारी की उक्त कृषि भूमि पूर्व मे एक ही खेत का भाग थी तथा संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त

-2

की भी तथा गत वर्षों से प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 3 व अन्य सहखातेदारों के मध्य विभाजन हुआ था जिस कारण विवादित कृषि भूमि व अप्रार्थी सं. 1 से 3 के खातेदारी की उक्त कृषि भूमि के मध्य कोई पुख्ता सीमा चिन्ह नहीं थे जिस कारण प्रार्थी ने गत वर्ष दिनांक 1.7.2016 को विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 से 3 के खातेदारी भूमि सहित समस्त ख० न० 231 की पैमाईश करवाई थी तथा पैमाईश के आधार पर विवादित कृषि भूमि व अप्रार्थी सं. 1 से 3 के खातेदारी की उक्त कृषि भूमि के मध्य की सीमा पर मिट्टी के दावे लगाये गये थे तथा उन्हीं दावों तक अपने खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर सावणी फसल काश्त की थी मगर अप्रार्थीगण ने विवादित कृषि भूमि की पूर्वी दक्षिणी सीमा निर्धारण के लिए बनाये दावों को मिटा दिया व विवादित कृषि भूमि के कुछ भाग की फसल पलट दी। अप्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि की सीमाओं के साथ छेड़ छाड़ करते रहते हैं जिस कारण मौके पर विवादित कृषि भूमि की चारों तरफ की सीमाओं पर कोई पुख्ता सीमा चिन्ह शेष नहीं रहा है व पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद रहता है जिस विवाद के निस्तारण के लिए प्रार्थी ने फीस जमा करवाकर सीमाज्ञान भी करवा लिया मगर अप्रार्थी सं. 1 से 3 बताई गई सीमाओं पर कायम रहने को तैयार नहीं है जिस कारण प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। आदि-आदि पेश कर अनुभवी पटवारी गिरदावर की टीम गठित कर पैमाईश करवाई जाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाने का अनुतोष चाहा गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नियमानुसार तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आये व अप्रार्थी सं. 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी से विवादित कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी होना प्रमाणित है। प्रकरण पैमाईश करवाकर अपनी खातेदारी की भूमि के पुख्ता सीमा चिन्ह पैमाईश के मुताबिक करवा कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के सम्बन्ध में है। प्रार्थी द्वारा सीमा विवाद होना अंकित किया है ऐसे में मौका पर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी सं. 4 योग्य टीम गठित करके रोही ग्राम न्यागली तहसील राजगढ़ जिला चूरू के ख० न० 419/231 तादादी 1.85 है० भूमि की मौका पर पुख्ता पैमाईश चिन्ह से पैमाईश अप्रार्थीगण व पड़ोसी खातेदारों की उपस्थिति में की जाकर सीमाओं की पुख्ता निशान देही की जाकर चारों सीमाओं पर पुख्ता पत्थरगढ़ी की जावे। तदनुसार पालना हेतु तहसीलदार राजगढ़ को लिखा जावे। मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुने

[illegible] दिनांक 26.12.19 को